राजस्व वाद संख्या 35 / 2025
GCMS NO. 2025 / 188
भवानी सिंह बनाम राजस्थान सरकार
आदेश दिनांक 09.07.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 35 / 2025 (GCMS No. 2025 / 188)

भवानीसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम चुड़ेला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 46 के खसरा नम्बर 411, 412, 413, 415, 416, 426 / 721 कुल किता 6 कुल रकबा 7.87 है0 तथा वाके ग्राम दौलतपुरा की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 2 के ख0न0 169, 179, 225 / 170, 226 / 170, 227 / 170 कुल किता 5 कुल रकबा 3.00 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिसमें आवेदक अपने दर्ज हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड में आवेदक के पिता का नाम गलती से उम्मेदसिंह दर्ज कर दिया जबकि आवेदक के पिता का सही व वास्तविक नाम रणजीतसिंह है। इसलिये आवेदक के पिता का नाम उम्मेदसिंह के बजाय रणजीतसिंह दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। इसी प्रकार भूमि खाता संख्या 46 में वादी का साकिन चूड़ेला दर्ज है जबकि आवेदक दौलतपुरा का निवासी है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस वाके ग्राम दौलतपुरा व चूड़ेला के राजस्व रिकार्ड में आवेदक के पिता का नाम उम्मेदसिंह के बजाय रणजीतसिंह तथा वाके ग्राम चूड़ैला स्थित भूमि खाता संख्या 46 में साकिन चूड़ेला के बजाय दौलतपुरा दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक तहसीलदार बिसाऊ को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बिसाऊ ने अपने पत्रांक 927 दिनांक 07.07.2025 से जांच रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार बिसाऊ ने जांच रिपोर्ट में प्रार्थी के पिता का नाम उम्मेदसिंह के बजाय रणजीतसिंह व ग्राम चूड़ैला के खाता संख्या 46 में सभी खातेदारों के सा. देह के स्थान पर सा. दौलतपुरा दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम उम्मेदसिंह के बजाय रणजीतसिंह व ग्राम चूड़ैला के खाता संख्या 46 में सभी खातेदारों के सा. देह के स्थान पर सा. दौलतपुरा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार बिसाऊ की अनुशंषा, उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम दौलतपुरा के खाता संख्या 2 व ग्राम चूड़ैला के खाता संख्या 46 में प्रार्थी के पिता का नाम उम्मेदसिंह के स्थान पर रणजीतसिंह तथा ग्राम चुड़ैला के खाता संख्या 46 में सभी खातेदारों के सा. दे हके स्थान पर सा. दौलतपुरा दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर